सहकारिता विभाग
उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या–12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति (फायदाग्राही एवं कार्यक्रम)

निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय सूची

मैनुअल संख्या–12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति (फायदा ग्राही एवं कार्यक्रम)

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सहकारिता आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास	4–5
2	विभागीय स्वरूप एवं संस्थागत स्वरूप	6–7
3	सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनायें	7–11
4	मुख्य कार्यक्रम	11–15
5	जिला सहकारी बैंको में ब्याज दर	16
6	समितियों द्वारा सदस्यों को वितरित ऋण	17
7	विवाद एवं उनका निपटारा	18
8	उत्तरॉचल सहकारी समिति अधिनियम 2003 के मुख्य बिन्दु	18–20
9	उत्तरॉचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003–मुख्य बिन्दु	20–22

सहकारिता विभाग

उत्तराखण्ड

योजनायें

कार्यक्रम एंव समाधान

सहकारिता आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास

भारत के ग्रामीण अंचलों में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ करते हुए सहकारिता के माध्यम से आसान शर्तो पर कर्ज दिलवानें की व्यवस्था की अधिकारिक रूप से शुरूआत वर्ष 1904 में सहकारिता ऋण समिति अधिनियम बनने से हुई है, जो सहकारिता की दिशा में पहला कदम था। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ में केवल दो प्रकार (शहरी क्षेत्रों एंव ग्रामीण क्षेत्रों) की समितियों का गठन किया गया । इस अधिनियम के पारित होते ही इसके प्राविधानों को उत्साह के साथ लागू करते हुए विभिन्न प्रान्तीय सरकारों द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये और सहकारिता के सम्बन्ध में प्रभावी शैक्षिक कार्यक्रम चलाये गये, जिससे आगामी वर्षो में सहकारी आन्दोलन में प्रगति स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होनें लगी तथा इस अधिनियम में कुछ कमियां भी सामने आने लगी । जिन्हे दूर करते हुए तथा सहकारिता के कार्यक्षेत्र में वृद्वि लाते हुए वर्ष 1912 में नया सहकारी अधिनियम बनाया गया इस अधिनियम में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में गठित की जाने वाली समितियों के अन्तर को समाप्त कर दिया गया तथा सहकारिता आन्दोलन के प्रसार को समुचित संरक्षण भी मिल गया एंव ऋण देनें के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए भी सहकारी समितियों का गठन सम्भव हो सका । तत्पश्चात सहकारी आन्दोलन में बहुमुखी प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1965 में उ0प्र0 में नये सहकारी अधिनियम का गठन किया गया, जो उत्तरांचल राज्य में भी प्रचलित रहा ।

वर्तमान में उत्तरांचल राज्य का नया सहकारी समिति अधिनियम गठित कर दिया गया है, जिसमें पूर्ववर्ती अधिनियमों की कमियों में सुधार लाने का प्रयास किया गया, सहकारी बन्धुओं को और अधिक अधिकार देते हुए निबन्धक के अधिकारों में कमी की गयी है ।

उक्त के अतिरिक्त एक नया स्वाश्रयीय (आत्मनिर्भर) सहकारी अधिनियम 2003 का गठन किया गया । जिसमें सहकारी समितियों को निबन्धक के नियन्त्रण से पूर्ण मुक्त करते हुए समिति की सामान्य सभा को पूर्ण उत्तरदायित्व दिये गये हैं। इस प्रकार गठित समितियों को राज्य की सहायता भी समान्यतः उपलब्ध नहीं होंगी, समितियॉ अपना कार्य क्षेत्र एवं कार्य करने के लिये पूर्णतः स्वतन्त्र होंगी।

सहकारिता विभाग के संगठन का दृष्टिकोण न केवल कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है वरन प्रदेश के विभिन्न आंचलों में ग्रामीण तथा शहरी जनता की निर्बल और निर्धन वर्ग को समृद्विशाली बनाते हुए उनके स्तर को ऊंचा उठाना है । इन उद्देश्यो की पूर्ति के लिए सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे– सहकारी ऋण एंव अधिकोषण योजना, क्रय–विक्रय योजना, उपभोक्ता योजना, भेषज विकास एंव जडी–बूटी योजना आदि कार्यान्वित कर सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।सहकारी समितियों के द्वारा अपने सदस्यो को 14 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण वितरण किया जाता था , जिसमें कटौती कर ब्याज दर 11 प्रतिशत कर दी गई । सभी प्रकार के ऋणों पर ब्याज दरें 9 प्रतिशत से 12.50 प्रतिशत तक निर्धारित कर दी गयी हैं

यह विभाग ऐसी समितियों के लिए एक मित्र, विचारक एंव पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है । उनके कार्यो में आवश्यक निर्देश देता है तथा पर्यवेक्षण करता है । सहकारी समितियों संस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने एंव निर्बल वर्ग के लोगों को अंश हेतु ऋण देनें के अतिरिक्त कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विधायन एंव संग्रहण में सहायता करती है, और क्रय–विक्रय की व्यवस्था कर उत्पादकों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाने में सहयोग प्रदान करती है । यह समितियां किसानों के कृषि कार्य के प्रयोग में आने वाली अधिक अच्छी वस्तुओं को सस्ते दर पर उपलब्ध कराने में सुविधा प्रदान करती है तथा उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को भी उपलब्ध कराती है।

उत्तराचंल में 763 प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां है, जिनको बहुद्देशीय स्वरूप प्रदान किये जाने हेतु प्रत्येक समिति पर एक गोदाम, एक दुकान एंव कार्यालय रखा जा रहा है । सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों में प्रशासनिक क्षमता बढाने हेतु सहकारी पर्यवेक्षकों प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों में कार्यरत सचिवों एंव जिला सहकारी बैंको के सचिवों आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी विभाग द्वारा सम्पन्न कराई जाती है ।

सहकारिता विभाग में गठित जिला सहकारी बैंक तथा उनकी शाखाओं के माध्यम से अल्पकालीन,मध्यकालीन एंव दीर्धकालीन ऋणों का वितरण किया जाता है । प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों द्वारा ऋण वितरण, खाद–बीज वितरण, कीटनाशक कृषि रक्षा रसायन एंव दैनिक उपभोक्त की वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय जनता को कराई जाती है । केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों एंव उनकी शाखाओं के माध्यम से उत्तराचंल के शहरी एंव ग्रामीण अंचलों मे निरन्तर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति उचित मूल्य पर की जा रही है। सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराये जा रहे हैं । भेषज संघों के माध्यम से जडी–बूटी व्यवसाय कराया जा रहा है , साथ ही स्थानीय कृषकों का चयन कर जडी–बूटी कृषिकरण का कार्य भी करवाया जा रहा है। भेषज संघों द्वारा अपनी नर्सरियां स्थापित कर जडी–बूटी के बीज–पौध कृषकों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति एंव जनजाति के लोग है जिनके पास इतने साधन उपलब्ध नहीं है कि वे सहकारी ऋण संस्थाओं के सदस्य बनकर प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता से अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सके । अतएव इस वर्ग के लोगों को सहकारिता की परिधि में लाकर उनका सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा ट्राईबल सब प्लान कार्यान्वित किया गया है । उक्त योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2004–05 में अल्पकालीन, मध्यकालीन वितरण हेतु क्रमशः रू0 21000 लाख, रू0 555 लाख रू0 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसी प्रकार क्रय–विक्रय योजनान्तर्गत 9251 कु0 प्रमाणित बीज, 200 लाख रू0 का कृषि उपजों का विक्रय तथा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 140000 मै0टन गेहूँ खरीद का लक्ष्य रखा गया है। उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से 4200 लाख रू0 के उपभोक्ता व्यवसाय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । भेषज विकास एंव जडी–बूटी योजना

के अन्तर्गत 400 लाख रू0 का व्यवसाय किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 75000 मै0टन रासायनिक उर्वरकों के वितरण किये जाने का लक्ष्य किया गया है ।

–उत्तराचंल में सहकारिता आन्दोलन –

(क) विभागीय स्वरूप

सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ गति प्रदान करने, प्रभावी संचालन, मार्गदर्शन एंव पर्यवेक्षक हेतु निम्न व्यवस्था है :–

- प्रादेशिक स्तर पर विभागाध्यक्ष निबन्धक, सहकारी समितियां,
- निबन्धक के सहायतार्थ अपर निबन्धक, उप निबन्धक, प्रमुख भेषज विशेषज्ञ, अन्य अधिकारी एंव अन्य अधिकारी एंव कर्मचारी ।
- जिला स्तर पर जिला सहायक निबन्धक
- तहसील स्तर पर सहकारी निरीक्षक वर्ग–1/अपर जिला सहकारी अधिकारी
- विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (सह0) /सहकारी निरीक्षक वर्ग–2
- जडी–बूटी तथा भेषज विकास के लिए प्रमुख भेषज विशेषज्ञ , भेषज विशेषज्ञ, जिला भेषज अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (जडी–बूटी), ग्रेडिंग असिस्टेन्ट, ग्रेडिंग सुपरवाइजर आदि

(ख) संस्थागत स्वरूप (31 –03–2004 की स्थिति) –

(1) शीर्ष सहकारी संस्थायें–

- उत्तराचंल राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी
- उत्तराचंल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0 देहरादून
- उत्तराचंल कोआपरेटिव रेशम फेडरेशन लि0, प्रेमनगर, देहरादून ।

(2) केन्द्रीय सहकारी संस्थायें –

- जिला सहकारी बैंक लि0– 09
- जिला केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्ड़ार लि0,– 06
- जिला सहकारी संघ लि0 – 10
- जिला भेषज सहकारी संघ लि0– 12
- विकास सहकारी संघ – 71
- अन्य केन्द्रीय समितियां– 17

(3) प्रारम्भिक सहकारी समितियां–

- प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां– 763
- प्रारम्भिक उपभोक्ता सहकारी समितियां– 103
- क्रय–विक्रय सहकारी समितियां,– 31
- श्रम सहकारी समितियां– 310
- वेतनभोगी सहकारी समितियां, 327
- नगरीय सहकारी बैंक– 08
- परिवहन सहकारी समितियां– 32
- बहुद्देश्यीय सहकारी समितियां– 51
- कृषि सहकारी समितियां– 51
- मुर्गीपालन सहकारी समिति– 14
- सूअर पालन सहकारी समिति– 08
- गृह निर्माण सहकारी समितियां– 61
- तिलहन सहकारी समितियां– 54
- भेषज सहकारी समितियां,– 09
- औद्योगिक सहकारी समितियां– 187
- औद्यानिक सहकारी समितियां, 32
- मत्स्य सहकारी समितियां– 6
- रेशम सहकारी समितियं,– 43
- अन्य सहकारी समितियां,– 8

–सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनायें –

- सहकारी ऋण एंव अधिकोषण योजना
- सहकारी क्रय–विक्रय योजना
- सहकारी उपभोक्ता योजना

- सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एंव प्रचार–प्रसार योजना
- पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति एंव वितरण योजनान्तर्गत उर्वरक परिवहन पर राज सहायता
- कृषि निवेशों के परिवहन पर राज सहायता
- एकीकृत सहकारी विकास योजना
- केन्द्र पोषित योजनायें (मैक्रोमोड)

क–सहकारी ऋण एंव अधिकोषण योजना–

- पैक्स के सचिवों के वेतन हेतु कामन कैडर अनुदान–
- जिला सहकारी बैंक की शाखाओं को 3 वर्षो तक प्रबन्धकीय एंव 1 वर्ष साज–सज्जा हेतु अनुदान
- अनुसूचित जाति एंव जनजाति के सदस्यों को अंशक्रय हेतु अधिकतम 100 रूपये तक ब्याज रहित ऋण/अनुदान
- प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों को वर्ष दौरान ऋण वितरण में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान
- प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों को मिनी बैंक की स्थापना हेतु प्रबन्धकीय एंव साज–सज्जा अनुदान
- अनु0जाति/जनजाति के सदस्यों को ब्याज पर 3 प्रतिशत की दर से राहत हेतु अनुदान

(ख)–सहकारी क्रय–विक्रय योजना–

- क्रय–विक्रय समितियों को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान
- क्रय–विक्रय समितियों को पुर्नस्थापना हेतु अनुदान

(ग) सहकारी उपभोक्ता योजना–

- केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों को मूल्य उतार–चढाव निधि हेत अधिकतम 25000/–प्रति वर्ष अनुदान–
- केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों/लीड समितियों/जिला सहकारी संघों को अधिकतम 25000/–प्रति वर्ष अनुदान–
- पैक्स/लैम्पस को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु 5000/ का यातायात अनुदान
- संघ के सचिवों के वेतन हेतु राहत अनुदान

(ड.) सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एंव प्रचार–प्रसार योजना

(च) पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति एंव वितरण योजनान्तर्गत उर्वरक परिवहन पर राज सहायता

(छ) कृषि निवेशों के परिवहन पर राज सहायता

(ज) एकीकृत सहकारी विकास योजना

(झ)– केन्द्र पोषित योजनाऐं (मैक्रोमोड–कृषि विभाग के बजट के अन्तर्गत)

- अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए रू0 1.00 लाख प्रति समिति की दर से विशेष योजना–
- महिला सहकारी समितियों को प्रति समिति की दर से 1.00 लाख रू0 वित्तीय सहायता–
- क्रेडिट स्टेब्लाईजेशन फण्ड–
- केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों/जिला संघो को पुर्नस्थापना हेतु 10.00 लाख रू0 तक वित्तीय सहायता

उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ (वर्ष 2004–05 में)

- उत्तरांचल राज्य में इस संघ का गठन वर्ष 2002–03 में
- 01–10–2002 से कार्य प्रारम्भ
- प्रथम चरण में उ0प्र0 पी0सी0एफ0 से 16 कर्मचारी / अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
- वर्ष 2004–05 में संघ ने 33917 मै0 टन उर्वरक का वितरण
- 707 कु0 प्रमाणित बीज वितरण,
- 24.23 लाख रू0 का कृषि रक्षा रसायन वितरण
- 55.37 लाख रू0 का उपभोक्ता व्यवसाय
- वर्ष 2004–05 तक कुल 432 लाख रू0 अंशपूॅजी प्राप्त

उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0

- भारतीय रिजर्व बैंक से लाईसेन्स प्राप्त
- शाखा देहरादून एंव हल्द्वानी ने कार्य प्रारम्भ किया

- वर्ष 2004–05 में अब तक 1990 लाख रू0 अंशपूंजी
- बैंक में कुल जमा 102 करोड़ रू0
- ऋण वितरण 21.75 करोड़ रू0

एन.सी.डी.सी. के अन्तर्गत सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली योजनायें

- क्रय–विकय सहकारी समितियों को व्यवसाय वृद्वि हेतु अषंपूजी अधिकतम सीमा 5.00 लाख , जिसकी वसूली 8 **वर्ष** पष्चात 8 समान वार्षिक किष्तों में ।
- क्रय–विक्रय एंव केन्द्रीय उपभोक्ता भण्ड़ार हेतु वाहन खरीद में वित्तीय सहायता जिसमें 50 प्रतिषत ऋण एंव 40 प्रतिषत अंषपूंजी ।
- बीज प्रसस्करण इकाई स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता, जिसमें 95 प्रतिषत ऋण तथा 5 प्रतिषत समिति द्वारा वहन किया जाता है ।
- पैक्स, लैम्पस, एफ.एस.एस. आदि सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण, नवीनीकरण, उच्चीकरण के लिए वित्तीय सहायता ।
- पैक्स, लैम्पस, एफ.एस.एस. जो उपभोक्ता व्यवसाय वितरण का कार्य करती हैं उन्हें मार्जिन मनी, परिवहन वाहन की खरीद एंव शौपिंग काम्पलैक्स आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।
- जनजाति सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण हेतु 33 प्रतिषत अनुदान सहित वित्तीय सहायता ।

आई.सी.डी.पी. योजना–

- चयनित जनपदों के समग्र विकास के लिए प्रस्तावित वर्तमान में ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, हरिद्वार, चमोली, एंव पिथौरागढ़ में कियान्वित
- उत्तराचंल के समस्त जनपदों में भविष्य में चरणबद्व तरीके से लागू की जायेगी ।
- योजना के अन्तर्गत समितियों की भण्ड़ारण क्षमतावृद्वि
- समितियों को मार्जिन मनी उपलब्ध कराना ।

- सहकारिता प्रषिक्षण प्रचार–प्रसार ।
- मानव विकास संसाधन हेतु वित्तीय सहायता ।
- सहकारी बन्धुओं का अन्य प्रदेश की सहकारिताओं का अध्ययन भ्रमण ।

–मुख्य कार्यक्रम–

विभाग द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित किये जा रहे मुख्य कार्यक्रम –

- अल्पकालीन ऋण वितरण
- मध्यकालीन ऋण वितरण
- दीर्धकालीन ऋण वितरण
- नये सदस्यों के प्रवेश से सहकारिता का आच्छादन
- उपभोक्ता व्यवसाय
- उर्वरक व्यवसाय
- कृषि निवेशों एंव कृषि रक्षा रसायनों की आपूर्ति सम्बन्धी व्यवसाय
- जडी–बूटी व्यवसाय, कृषिकरण एंव कृषिकरण हेतु ऋण वितरण
- सहकारी देयों की वसूली
- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषि उपजों (गेहूँ एंव धान) की खरीद
- किसान क्रेडिट कार्डो का वितरण
- महिला समूहों का गठन
- उत्तराचंल राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा बासमती एंव जडी–बूटी की कान्ट्रैक्ट फार्मिगं

- चीनी मिलों को वित्तपोषण
- विविध प्रयोजन हेतु बैंकों द्वारा ऋण वितरण
- एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं द्वारा सहकारी समितियों में ग्रामीण गोदामों का निर्माण
- प्रारम्भिक सहकारी समितियों को स्वाश्रयी बनाने हेतु कार्ययोजना प्रारम्भ

ब्याज दरें

जिला सहकारी बैंकों द्वारा वितरित ऋण पर–

क्र0सं0	ऋण / ऋण सीमा का प्रकार	च्तमेमदज प्दजमतमेज तंजम	मििबजपअम प्दजमतमेज तंजम ृमिण 15ण02ण2023
1	टिकाऊ उपभोक्ता ऋण	12ण00	12ण00
2	एन0एस0सी0 / के0वी0पी0 के विरूद्ध ऋण	11ण00	11ण00
3	व्यापारियों / फर्मों को दिये गये बन्धक / दृश्टिबन्धक ऋण सीमा– क–10 लाख रू0 तक ख–10 लाख रू0 से अधिक 20 लाख रू0 तक	10ण00 10ण50	10ण25 10ण75
4	निजी वाहन हेतु दिये गये वाहन ऋण पर क– 7 लाख रू0 तक ख– 7 लाख रू0 से अधिक 10 लाख रू0 तक	8ण00 8ण50 8ण50	8ण45 8ण75 9ण15

	ग– 10 लाख रू0 से अधिक		
5	आटो रिक्षा/टैक्सी एवं दो पहिया व चार पहिया हेतु दिये गये वाहन ऋण क– 5.00 लाख रू0 तक ख– 5.00 लाख रू0 से अधिक पर	 8ण्50 9ण्00	 9ण्35 9ण्75
6	चीनी मिलों को दिये गये बन्धक/दृश्टिबन्धक/क्लीन ऋण सीमा एवं टर्म लोन पर क–बन्धक ख–दृश्टिबन्धक ऋण सीमा पर ग–क्लीन लोन घ–टर्म लोन (भारत सरकार योजना के तहत) च– टर्म लोन (सामान्य पर)	 10ण्00 10ण्50 11ण्00 11ण्00 10ण्50	 10ण्00 10ण्50 11ण्00 11ण्00 10ण्50
7	**अ–सामान्य भवन ऋण पर** क– 15 लाख रू0 तक ख– 15 लाख रू0 से अधिक व 35 लाख रू0 तक ग– 35 लाख रू0 से अधिक व 50 लाख रू0 तक घ–50 लाख रू0 से अधिक पर **ब–व्यावसायिक भवन ऋण पर/सम्पत्ति के विरूद्व बन्धक ऋण** क– व्यावसायिक भवन ऋण 15 लाख रू0 तक	 8ण्00 8ण्00 8ण्00 8ण्00 9ण्75 9ण्75	 8ण्60 9ण्35 9ण्40 9ण्50 10ण्25 10ण्25

	ख– व्यावसायिक भवन ऋण 15 लाख रू0 से 30 लाख तक ग– व्यावसायिक भवन ऋण 30 लाख रू0 से अधिक पर	10ण्50	11ण्00
8	उच्च व्यावसायिक /तकनीकी/प्रबन्धकीय षिक्षा हेतु दिये गये ऋण पर क–7.50 लाख रू0 तक ख–7.50 लाख रू0 से अधिक	 8ण्75 9ण्25	 9ण्00 9ण्50
9	कम्प्यूटर षिक्षा/ज्ञानोत्कर्श योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों/ऋण सीमाओं पर क–1.00 लाख रू0 तक	 9ण्00	 9ण्50
10	वेतनभोगी कर्मचारियों/अधिकारियों को स्वीकृत कैष क्रेडिट पर	10ण्00	9ण्50
11	षाखाओं द्वारा व्यक्तिगत सदस्यों को कृशि एवं सहायक कृशि कलापों बागवानी पुश्पों की खेती हेतु दिये गये ऋण अल्पकालीन एवं मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋणों पर क– 3.00 लाख रू0 तक ख– 3.00 लाख रू0 से अधिक पर	 8ण्50 9ण्00	 8ण्50 9ण्00
12	अन्य सभी प्रकार के मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋणों पर क– 1.00 लाख रू0 तक ख– 3.00 लाख रू0 तक ग– 3.00 लाख रू0 से अधिक पर	 9ण्50 10ण्00 10ण्50	 9ण्75 10ण्25 10ण्75

समितियों द्वारा सदस्यों को वितरित ऋण पर –

फसली ऋण समिति द्वारा	विभिन्न फसलों के उत्पादन हेतु	कृषक की जोत के अनुसार जनपद में निर्धारित	0.25 लाख तक 11.00 प्रतिशत एंव उससे अधिक पर 12.00 प्रतिशत	फसल चक्र के अनुसार
चिकित्सा हेतु ऋण	सदस्य के लिए स्वयं एंव उसके परिवार के लिए	0.05 लाख रू0	11.00 प्रतिशत	1 वर्ष
शिक्षा ऋण	आश्रित पुत्र एंव पुत्री की शिक्षा हेतु	0.05 लाख रू0	11.00 प्रतिशत	1 वर्ष
विवाह ऋण	पुत्र एंव पुत्री के विवाह हेतु	0.15 लाख रू0	11.00 प्रतिशत	1 वर्ष
व्यवसायिक ऋण	कुटीर उद्योग, दुकान व अन्य व्यवसाय	0.15 लाख रू0	11.00 प्रतिशत	3 वर्ष
भवन ऋण	पक्का भवन/निर्मित भवन का विस्तार/मरम्मत	0.15 लाख रू0	11.00 प्रतिशत	5 वर्ष
औषधि ऋण	औषधि/क्लीनिक की स्थापना	0.15 लाख रू0	11.00 प्रतिशत	3 वर्ष
उपभोक्ता ऋण	टिकाऊ घरेलू सामान जैसे, टीवी,फ्रिज,फर्नीचर आदि	0.15 लाख रू0	11.00 प्रतिशत	3 वर्ष

समितियों द्वारा सदस्यों को दीन दयाल योजनान्तर्गत ऋण पर प्रचलित ब्याज दर–

क्र0सं0	विवरण	प्रचलित ब्याज दर	समय से अदायगी करने वाले कृशकों को भारत सरकार योजना अन्तर्गत ब्याज अनुदान	समय से अदायगी करने वाले कृशकों को राज्य सरकार से वित्तीय भार की वहनता का प्रतिषत	समय से अदायगी करने वाले कृशकों को वहन करने वाला ब्याज भार
1	अल्पकालीन ऋण रू0 1.00 लाख तक	7 प्रतिषत	3 प्रतिषत	4 प्रतिषत	षून्य
2	मध्यकालीन ऋण रू0 1.60 लाख तक	11 प्रतिषत	षून्य	11 प्रतिषत	षून्य
3	मध्यकालीन ऋण रू0 1.60 लाख से अधिक–रू0 3.00 लाख तक	11 प्रतिषत	षून्य	9 प्रतिषत	षून्य
4	स्वयं सहायता समूह को ऋण रू0 5.00 लाख तक	11 प्रतिषत	षून्य	11 प्रतिषत	षून्य

विवाद एंव उनका निपटारा–

- सहकारी समिति के संघटंन, प्रबन्ध अथवा कार्य तथा समिति के वेतन भोगी कर्मचारियों के विरूद्व की गई अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्व विवाद से भिन्न विवाद का निस्तारण हेतु मध्यस्थ/मध्यस्थ मण्ड़ल नियुक्ति की व्यवस्था ।
- समिति/वादी द्वारा भेजे जाने वाले निम्नांकित प्रपत्र –
- विवाद के निस्तारण या वसूली के सम्बन्ध में पूर्व में कृत कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण व साक्ष्य
- वाद प्रस्तुत करने हेतु लिये गये निर्णय की प्रति/प्रस्ताव ।
- प्रार्थना–पत्र ।
- विवाद से सम्बन्धित पुष्ट साक्ष्यों की प्रमाणित प्रतियां ।
- लेखाशीर्षक " 0425–सहकारिता–800–अन्य प्राप्तिया– 06–अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां " के अन्तर्गत राजकीय कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक में जमा वाद शुल्क (मूल्यांकित धनराशि का 1 प्रतिशत) के जमा चालान की प्रति ।
- 50,000.00 रू0 तक के वाद जिला सहायक निबन्धक के अधिकारिता में

- 2,00,000.00 रू0 तक के वाद उप निबन्धक, सहकारिता के अधिकारिता में
- 5,00,000.00 रू0 तक के वाद अपर निबन्धक के अधिकारिता में
- 500000.00 रू0 से अधिक के वाद निबन्धक के अधिकारिता में

उत्तराचंल सहकारी समिति अधिनियम–2003 –एक झलक

- अधिनियम में पृथक से कृषि एंव ग्राम्य विकास बैंक की कोई व्यवस्था नहीं
- **धारा 2** में नगरीय बैंकों को परिभाषित किया गया
- एक्ट की **धारा 3 (3)** के उपबन्धों को विस्तृत रूप दिया गया
- **धारा 4** के अन्तर्गत सहकारिता के अन्तराष्ट्रीय सिद्वान्तों को अपनाया गया
- निबन्धक द्वारा समिति निबन्धित न करने पर प्रत्यावेदन की व्यवस्था
- **धारा 17** के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह तथा विद्यार्थियों को समितियों की सदस्यता ग्रहण करने का प्राविधान
- सहानुभूतिकर सदस्य बनाये जाने का प्राविधान समाप्त
- प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पॉच वर्ष किया गया
- प्रबन्ध कमेटी में अधिकतम पॉच गैर शासकीय सदस्यों को नामित किये जानें का प्राविधान
- **धारा 30 (क)** सभापति एंव उप सभापति के विरूद्व अविश्वास का प्रस्ताव लाये जाने का प्राविधान
- **धारा 31 (क) में** शीर्ष सहकारी बैंक में अनुभवी बैंक अधिकारी भी प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किये जाने का प्राविधान
- प्रबन्ध निदेशक के वित्तीय अधिकारों की सीमा में वृद्वि
- **धारा 35 (क)** बकायेदारी हेतु वसूली प्रतिशत 60 प्रतिशत किया गया
- राज्य सरकार की सहभागिता को परिभाषित किया गया

- चाटर्ड एकाउन्टेट्स के माध्यम से भी आडिट करानें का प्राविधान
- आडिट शुल्क निर्धारण करना एंव उसमें छूट देनें का प्राविधान
- **धारा 71 (6)** हाजिरी सुनिश्चित करानें एंव शपथ अभिपुष्टि या हलफनामें पर साक्ष्य देनें एंव दस्तावेजों को पेश करने हेतु बाध्य किये जाने का प्राविधान
- **धारा 71 (क)** वित्त पोषणकर्ता समिति/बैंक वित्त पोषित समिति के बकायेदारों के विरूद्व सीधे कार्यवाही का प्राविधान
- **धारा 74 (क)** परिसमापित की जाने वाली समिति के अभिलेखों का पूर्व अधिनियम में आडिट करने का प्राविधान
- **धारा 74 (ख)** पूर्व अधिनियम में परिसमापित की जाने वाली समिति की शेष सम्पत्तियों के निस्तारण का प्राविधान
- **धारा 77** सहकारी कृषि समितियों का गठन करने हेतु 5 सदस्य का प्राविधान
- **धारा 97** निबन्धक के अभिनिर्णय के विरूद्व अपील की अवधि 30 दिन के स्थान पर बढ़ाकर 45 दिन की गई
- **धारा 98** अन्य अभिनिर्णयों, आदेशों तथा निर्णयों के विरूद्व अपील प्रस्तुत किये जाने की अवधि भी बढ़ाकर 30 दिन के स्थान पर 45 दिन कर दी गई
- **धारा 99** इस धारा के अन्तर्गत न्यायाधिकरण, राज्य सरकार तथा निबन्धक को अपने अभिनिर्णयों का पुनरीक्षण करने का अधिकार प्राविधानित किया गया
- **धारा 102 (क)** उत्तराचंल राज्य सहकारी परिषद की स्थापना का प्राविधान परिषद में 11 सदस्य होगें तथा परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा
- **धारा 103** विभिन्न प्रकार के दण्ड सीमा में वृद्धि
- **धारा 104** इसके अन्तर्गत अपराध के लिए अर्थ दण्ड की राशि 500 रू0 से बढ़ाकर 1000 रू0 तथा अपराध जारी रहनें पर 10 रूपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रू0 प्रतिदिन कर दी गई
- **धारा 116** सहकारिता को सहभागिता एंव संयुक्त उघम के रूप में विकसित किये जाने का प्राविधान

- **धारा 117** सहायक संगटनों का प्रवर्तन किये जाने का प्राविधान
- **धारा 118 पुनर्निमार्ण परिषद** का प्राविधान जिसमें कुल सात सदस्य
- नियुक्ति प्रक्रिया में अध्यक्ष/संचालक मण्ड़ल की सहभागिता का प्राविधान

उत्तराचंल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003– एक झलक

- पूर्व निबन्धित समिति द्वारा राजकीय अंशपूंजी की वापसी के पश्चात इस विधेयक के अन्तर्गत पंजीकरण प्राप्त कर सकती है ।
- उक्त पंजीकरण के पश्चात ऐसी समिति पर राज्य सरकार अथवा निबन्धक का कोई नियत्रंण नही रहेगा ।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम 7 सदस्य सहकारी समिति के पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं ।
- समिति को निबन्धित करने के लिए कोई आदर्श उपविधियां नहीं होंगीं । समिति अपने उद्देश्यों के अनुरूप संगंम ज्ञापन एंव संगंम अनुच्छेद बनायेंगी ।
- निबन्धन अस्वीकार करने हेतु 60 दिन की अवधि
- डीम्ड रजिस्ट्रेशन का प्राविधान
- समिति अपने संगम अनुच्छेद में संशोधन हेतु स्वयं संक्षम
- सहकारी समिति/समितियां समामेलन, विलयन, विभाजन के लिए स्वतत्रं
- समिति के विवाद मध्यस्थ अभिकरण को प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान
- मध्यस्थ अभिकरण का गठन समिति की सामान्य सभा करेगी

- समिति सहकारी शिक्षा का प्राविधान स्वयं करेगी तथा इस सम्बन्ध में समस्त अधिकार सामान्य सभा में निहित होगें
- समिति लेखा परीक्षकों की नियुक्ति स्वयं करेगी तथा स्वयं लेखा परीक्षण करायेगी
- कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व निर्वाचन कराया जाना आवश्यक
- निर्वाचन समिति द्वारा स्वयं कराया जायेगा
- निर्वाचित संचालक मण्ड़ल का कार्यकाल समिति की संगंम अनुच्छेद में उल्लिखित किया जायेगा
- सहकारी समिति के सामान्य निकाय में समिति के सभी सदस्य सम्मिलित
- समिति की सामान्य सभा को समिति के विघटन का अधिकार
- न्यायालय के आदेश या निबन्धक के आदेश से भी समिति के विघटन की कार्यवाही की जा सकती है ।
- पंजीकृत सहकारी संस्थायें अपने प्रबन्धन का स्वरूप निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र
- राज्य सरकार यदि चाहे तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धित समितियों को भी सहायता प्रदान कर सकती है
- प्रत्येक समिति निबन्धक को वार्षिक सामान्य सभा आयोजन के 30 दिन के पश्चात वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करना आवश्यक
- रजिस्ट्रार सदस्यों अथवा निदेशकों के प्रार्थना–पत्रों पर ही समितियों की जॉच करवायेगा, सीधे कोई जॉच नहीं करेगा
- लगातार 2 वर्ष तक कार्य न करने पर रजिस्ट्रार को समिति विधटित करने का अधिकार
- न्यायालय द्वारा भी विघटन के निर्देश दिये जा सकते हैं
- समिति के समापन हेतु सामान्य निकाय द्वारा समापक नियुक्त किये जाने का प्राविधान
- 2 वर्ष के अन्तर्गत समापन की कार्यवाही पूर्ण कराना आवश्यक
- विशेष परिस्थितियों में रजिस्ट्रार द्वारा भी समापक नियुक्त किये जाने का प्राविधान